मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल
// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 4/4/2008

क्रमांकः एफ-2-3/2007/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वित्त संहिता जिल्द -एक में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त संहिता में, अध्याय-चौदह के भाग पांच में, नियम 300 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"300-क. (1) मितव्ययिता एवं दक्षता के हित में विभाग कतिपय सेवाएं बाहरी स्त्रोंतों से ले सकेगा तथा वह निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों का उल्लघन किये बिना, इस प्रयोजन के लिये विस्तृत अनुदेश और प्रक्रियाएं विहित कर सकेगा ।

(2) विभाग अन्य विभागों से तथा समरूप क्रियाकलापों में अन्तर्ग्रस्त संगठनों, "यलो पेजेस" तथा व्यापार पत्रिकाओं (जनरल), यदि उपलब्ध हो, की संवीक्षा और सुसंगत वेब-साइट्स आदि की औपचारिक या अनौपचारिक जांच के आधार पर, संभाव्य एवं संभावित ठेकेदारों की एक सूची तैयार करेगा ।

(3) विभाग अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित अन्तर्विष्ट करने वाला एक निविदा जांच दस्तावेज (टैड) तैयार करेगा :-

(एक) ठेकेदार / विक्रेता द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य अथवा सेवाओं के सही ब्यौरे;

(दो) वे सुविधायें तथा आगत जो विभाग द्वारा ठेकेदार / विक्रेता को उपलब्ध कराए जाएंगे;

(तीने) पात्रता एवं अर्हता का मानदण्ड, जो अपेक्षित कार्य / सेवा को करने के लिये ठेकेदार / विक्रेता द्वारा पूरे किये जायेगें; और

(चार) ठेकेदार / विक्रेता द्वारा अनुपालक की जाने वाली कानूनी तथा संविदात्मक बाध्यताएं ।

(4) विभाग दस लाख रूपये या कम तक के प्राक्कलित मूल्य के कार्य या सेवा के लिये, संभाव्य ठेकेदारों/विक्रेताओं की प्रारंभिक सूची की, उपर्युक्त उपनियम (2) के अनुसार यथा परिलक्षित संवीक्षा करेगा, प्रथमदृष्टया पात्र तथा समर्थ ठेकेदारों / विक्रेताओं का विनिश्चिय करेगा और एक विनिर्दिष्ट तारीख एवं समय आदि में उनके सर्वोत्तम प्रस्ताव बुलाने के लिये उन्हें सीमित निविदा जांच जारी करेगा । सीमित निविदा जांच जारी करने के लिये इस प्रकार परिचालित ठेकेदारों/विक्रेताओं की संख्या छह से कम नहीं होगी ।

(5) विभाग दस लाख रूपये से अधिक के प्राक्कलित मूल्य के कार्य या सेवा के लिये, विनिर्दिष्ट तारीख और समय आदि में प्रस्ताव बुलाने के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना जारी करने के लिए, कम से कम एक वृहत् रूप से परिचलित लोकप्रिय राष्ट्रीय समाचार पत्र और दो अन्य स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के साथ साथ विभाग की वेब साईट पर विज्ञापन जारी करेगा ।

(6) दस लाख रूपये से अधिक के, तकनीकी प्रकृति के कार्य और सेवा के लिए, बोली निम्नानुसार दो भागों में लगाई जा सकेगी -

S/Ru/Ame/13

(अ) व्यावसायिक निबन्धन तथा शर्तों के साथ तकनीकी ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए तकनीकी बोली; और

(ब) तकनीकी बोली में उल्लिखित मदों के लिये आयटम वाइज दर दर्शित करते हुए वित्तीय बोली,

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली, बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से अंकित पृथक-पृथक लिफाफों में, मोहरबंद की जानी चाहिए, और इन दोनों मोहरबंद लिफाफों को बड़े लिफाफे में रखा जाएगा जो कि मोहरबंद और सम्यक रूप से अंकित होना चाहिए । तकनीकी बोली प्रथमतः विभाग द्वारा खोली जाएगी और सक्षम समिति या प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकित की जाएगी । द्वितीय स्तर पर, संविदा प्रदान करने से पूर्व वित्तीय बोली के केवल तकनीकी रूप से स्वीकार्य प्रस्ताव आगे के श्रेणी करण (रेकिंग) और मूल्याकंन के लिए खोले जाएंगे ।

(7) विलम्ब बोली अर्थात प्राप्ति की विनिर्दिष्ट तारीख एवं समय के पश्चात् प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(8) विभाग अनुक्रियात्मक बोली का मूल्याकंन कर पृथक श्रेणी में रखेगा और संविदा के स्थापन के लिए, सफल बोली लगाने वाले का चयन करेगा ।

(9) यदि अपवादात्मक स्थिति में विनिर्दिष्ट रूप से चुने गए ठेकेदार का कार्य बाहरी स्त्रोंतों से कराया जाना आवश्यक हो तो विभाग में सक्षम प्राधिकारी, वित्त विभाग के परामर्श से ऐसा कर सकेगा । ऐसे मामलों में ब्यौरे वार औचित्य, परिस्थितियां जो चयन तथा विशेष हित या प्रयोजन द्वारा बाहरी स्त्रोतों के कारण उत्पन्न हुई हों, पूरा करेगा तथा प्रस्ताव का अभिन्न भाग होगा ।

(10) विभाग, संविदा के संचालन में सर्वत्र अन्तर्ग्रस्त होगा और ठेकेदार के कार्य की प्रगति का निरंतर मानीटर करेगा । ''

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(ए.पी. श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh
Finance Department
Mantralaya, Bhopal

NOTIFICATION

Bhopal, date 4/4/2008

No. F -2-3/2007/Rule/IV. In exercise of the powers conferred by Article 283 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Financial Code, Volume-I, namely : -

AMENDMENTS

In the said Code, in Chapter 14 of Section V, after rule 300, the following rule shall be inserted, namely:-

"**300-A(1)** A Department may outsource certain services in the interest of economy and efficiency and it may prescribe detailed instructions and procedures for this purpose without, however, contravening the following basic guidelines.

(2) The Department should prepare a list of likely and potential contractors on the basis of formal or informal enquiries from other Departments and Organizations involved in similar activities, scrutiny of 'Yellow pages', and trade journals, if available, and from relevant web sites etc.

(3) Department should prepare a tender enquiry document (TED) containing, inter alia:

- **(i)** The exact details of the work or services to be performed by the contractor/vendor;
- **(ii)** The facilities and the inputs which will be provided to the contractor/vendor by the Department;
- **(v)** Eligibility and qualification criteria to be met by the contractor/vendor for performing the required work/ service ; and
- **(vi)** The statutory and contractual obligations to be complied with by the contractor/vendor.

(4) For estimated value of the work or service up to Rupees ten lakhs or less, the Department should scrutinize the preliminary list of likely contractors/vendors as identified as per sub Rule (2) above, decide the prima facie eligible and capable contractors/vendors and issue limited tender enquiry to them asking for their best offers by a specified date and time etc. The number of the contractors/vendors so identified for issuing limited tender enquiry should not be less than six.

(5) For estimated value of the work or service above Rupees ten lakhs, the Department should issue notice inviting tenders (NIT) asking for the offers by a specified date and time etc. in at least one popular largely circulated national newspaper and two other local daily newspapers as well as advertise on the web site of the Department (E-tendering).

(6) For a technical nature of work or service above Rs. Ten lakhs, bids may be obtained in two parts as under :-

(a) Technical bid consisting of technical details along with commercial terms and conditions; and

(b) Financial bid indicating item-wise rate for items mentioned in the technical bid.

The technical bid and the financial bid should be sealed by the bidder in separate covers duly super scribed and both these sealed covers are to be put in a bigger cover which should also be sealed and duly super scribed. The technical bids are to be opened by Department at the first instance and evaluated by competent committee or authority. At the second stage financial bids of only the technically acceptable offers should be opened for further evaluation and ranking before awarding the contract.

(7) Late bids i.e. bids received after the specified date and time of receipt should not be considered.

(8) The Department should evaluate, segregate, rank the responsive bids and select the successful bidder for placement of the contract.

(9) Should it become necessary, in an exceptional situation to outsource a job to a specifically chosen contractor, the Competent Authority in the Department may do so in consultation with the Finance Department. In such cases the detailed justification, the circumstances leading to the outsourcing by choice and the special interest or purpose it shall serve shall form an integral part of the proposal.

(10) The Department should be involved throughout in the conduct of the contract and continuously monitor the performance of the contractor.

By order and in the name of the
Governer of Madhya Pradesh

(A.P. Shrivastava)
Secretary,
To Government of Madhya Pradesh
Finance Department

S/Ru/Ame/16

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 2-3/2007/नियम/चार भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल, 2008

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इंदोर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा ओर हकदारी / (आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/ अभिलेख / मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग